तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2015/2002/भीलवाड़ा रामकुमार बनाम चारभुजाजी महाराज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य उपस्थितः- श्री ईश्वर देवड़ा, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री जी0एस0लखावत, अधिवक्ता अप्रार्थी। -- आदेश दिनांकः 10-10-19 हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण से संबंधित मूल वाद का निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04-05-16 को किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत वर्तमान निगरानी निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः निगरानी निष्प्रभावी होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	